

समाहरणालय, मुंगेर।
(जिला योजना कार्यालय)
आदेश

मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अन्तर्गत जमालपुर विधानसभा के लिए वर्ष 2014-15 हेतु माननीय स०वि०स० श्री शैलेश कुमार द्वारा अनुशंसित योजनाओं में से निम्नलिखित योजनाओं का प्राक्कलन तकनीकी स्वीकृति के पश्चात कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, मुंगेर के पत्रांक- 1275, दिनांक- 19.11.14 के द्वारा इस कार्यालय को प्रशासनिक स्वीकृति हेतु प्राप्त हुए है।

सम्यक विचारोपरांत निम्नांकित योजनाओं पर प्रदत्त तकनीकी स्वीकृति के आलोक में अग्रलिखित शर्तों के साथ निम्न प्रकार प्रशासनिक स्वीकृति दी जाती है।


क्र०	योजना का नाम	प्रखण्ड	तकनीकी स्वी० राशि	प्रशासनिक स्वी० की राशि	प्राक्कलन संख्या
1	2	3	4	5	6
01	जमालपुर नगरपालिका में कपिलदेव मंडल घर से सदानन्द सिंह के घर तक पथ का पी०सी०सी०	न०परि० जमालपुर	406300.00	406300.00	SJJ35
02	जमलापुर वार्ड नं०- 34 नया टोला फुलका में वासुदेव मंडल घर से प्रा० विद्यालय नया टोला फुलका तक पथ का पी०सी०सी०	न०परि० जमालपुर	410200.00	410200.00	SJJ36
03	धरहरा प्रखंड बाहाचौकी एन०एच०-80 से दक्षिण मुसहरी टोला शहदी महतो घर तक पथ का पी०सी०सी०	धरहरा	748800.00	748800.00	SJD14
04	धरहरा दक्षिण आर०ई०ओ० सड़क से सुभाष राम के घर तक पथ का पी०सी०सी०	धरहरा	481900.00	481900.00	SJD15
05	धरहरा महगामा पंचायत के गोविन्दपुर पुरतकालय से सुबोध तांती के घर तक पथ का पी०सी०सी०	धरहरा	364900.00	364900.00	SJD16
06	धरहरा हेमजापुर वासुदेव दास घर से गोपाल दास घर तक पी०सी०सी० नाला सहित ढक्कन निर्माण	धरहरा	218300.00	218300.00	SJD17
योग-			2630400.00	2630400.00	

प्रशा० स्वी० की कुल राशि मो०-2630400.00 (छब्बीस लाख तीस हजार चार सौ) रुपये मात्र।

शर्तें-

- कार्यकारी एजेंसी कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, मुंगेर यह सुनिश्चित करेंगे कि मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के मार्गदर्शिका के अनुरूप ही कार्य कराया जाय।
- योजना कार्यान्वयन से पूर्व उस पर सक्षम पदाधिकारी से प्रवैधिकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।
- कार्यकारी एजेंसी योजनाओं का कार्य निविदा के माध्यम से प्राक्कलन के विशिष्टियों के अनुरूप कराना सुनिश्चित करेंगे तथा वे इसके लिये पूर्णतः जिम्मेवार होंगे।
- राशि का संधारण वित्तीय नियमावली के तहत संधारित किया जाय।
- किसी भी परिस्थिति में इस राशि का विचलन अयेन्त्र नहीं होगा।
- कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा कार्य स्थल पर कार्य प्रारंभ कराये जाने के साथ साईन बोर्ड लगाया जायेगा जिसपर योजना का नाम, योजना का मद, प्राक्कलित राशि कार्यकारी एजेंसी का नाम, संवेदक का नाम तथा योजना पूर्ण होने की तिथि अंकित की जायेगी।
- योजना के कार्य प्रारंभ किये जाने के पूर्व इसका रंगीन फोटो लिया जाय तथा इसे अभिलेख में रखा जाय। इसी प्रकार एक रंगीन फोटो कार्य के मध्य में तथा एक फोटो योजना पूर्ण होने के पश्चात लिया जाय और इसे अभिलेख के साथ संलग्न कर रखा जाय।

8. योजना का कार्य अगले तीन माह में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय।
9. योजना का भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक माह की तीसरी तारीख तक निश्चित रूप से जिला योजना कार्यालय को उपलब्ध कराया जाय।
10. कार्यकारी एजेंसी इस योजना में कार्य प्रारंभ करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेंगे कि योजना स्थल सरकारी जमीन हो एवं वर्णित कार्य किसी अन्य मद से नहीं कराया जा रहा है।
11. योजना का एन0ओ0सी0 संबंधित विभाग से प्राप्त कर लेंगे।
12. संबंधित विधान मंडल सदस्य से योजनाओं के शिलान्यास/उद्घाटन में विभागीय निदेशों का अनुपालन करेंगे।



जिला योजना पदाधिकारी
मुंगेर।

- ज्ञापांक 691 / जि0यो0, दिनांक 12/12/14
- प्रतिलिपि— कार्यपालक अभियंता स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, मुंगेर को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि— जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि— क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को सादर सूचनार्थ।
- प्रतिलिपि— संयुक्त निदेशक, योजना एवं विकास विभाग, बिहार पटना को सादर सूचनार्थ।
- प्रतिलिपि— श्री शैलेश कुमार, माननीय स0वि0स0, जमालपुर विधानसभा क्षेत्र को सादर सूचनार्थ।



जिला योजना पदाधिकारी
मुंगेर।